



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2013/ज्येष्ठ 8, 1935

No. 258]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2013/JYAISTHA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 25 अप्रैल, 2013

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2013**

**सा.का.नि. 342(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए), उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी और 27 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं.फेमा.99/2003-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।  
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. विनियमों में संशोधन**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, में विनियम 9 में पहला परंतुक अर्थात, "बशर्ते कि जहाँ विशेष आर्थिक अंचल में स्थित इकाइयों द्वारा माल और सॉफ्टवेयर निर्यात किये जाते हैं, वहाँ माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन की नियत समय-सीमा लागू नहीं होगी;" हटाया जाता है।

[सं.फेमा. 273/2013-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :—**

मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के जी.एस.आर.सं.409(ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- (ए) 21 मार्च 2001 के सा.का.नि. सं. 199(अ),
- (बी) 8 जुलाई 2002 के सा.का.नि. सं. 473(अ),
- (सी) 29 सितंबर 2003 के सा.का.नि. सं. 773(अ),
- (डी) 22 नवंबर 2003 के सा.का.नि. सं. 900(अ),
- (ई) 23 अप्रैल 2004 के सा.का.नि. सं. 279(अ),
- (एफ) 8 जून 2004 के सा.का.नि. सं. 352(अ),
- (जी) 5 अगस्त 2008 के सा.का.नि. सं. 576(अ), और
- (एच) 17 दिसंबर 2012 के सा.का.नि. सं. 896(अ)।

**RESERVE BANK OF INDIA****(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**Mumbai, the 25<sup>th</sup> April, 2013**Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services)  
(Amendment) Regulations, 2013**

**G.S.R. 342(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000 and Notification No.FEMA.99/2003-RB dated August 27, 2003, Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :

**1. Short Title and commencement**

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

**2. Amendment to the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, in Regulation 9, the first proviso viz. "Provided that where the goods or software are exported by the units in Special Economic Zones, the stipulation of period of realization and repatriation to India of full export value of goods or software shall not apply;" stands deleted.

[No. FEMA 273/2013-RB]

Smt. RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

**Foot Note:—**

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.409 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide

- (a) G. S. R. No. 199 (E) dated March 21, 2001
- (b) G. S. R. No. 473 (E) dated July 8, 2002
- (c) G. S. R. No. 773 (E) dated September 29, 2003
- (d) G. S. R. No. 900 (E) dated November 22, 2003
- (e) G. S. R. No. 279 (E) dated April 23, 2004
- (f) G. S. R. No. 352 (E) dated June 8, 2004
- (g) G. S. R. No. 576 (E) dated August 5, 2008
- (h) G. S. R. No.896 (E) dated December 17, 2012